2839 (5) (201)
29/11/13

बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

"संकल्प"

विषयः– बिहार राज्य मछुआरा आयोग का गठन।

बिहार सरकार राज्य ने मछुआरों के सर्वांगीण विकास हेतु कृत संकल्प है। यद्यपि राज्य सरकार द्वारा गठित "किसान आयोग" के कार्य एवं दायित्व में "मछली पालन" भी शामिल है; उसके बावजूद मछुआरा समाज के चहुमुखी विकास के लिए सामाजिक; आर्थिक एवं शैक्षणिक उत्थान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस परिपेक्ष्य में मछुआरों के संरक्षण, कल्याण, विकास एवं आर्थिक अभिवृद्धि तथा उनके रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों का अन्वेषण और अनुश्रवण कर राज्य सरकार को अपनी अनुशंसायें करने के लिए "राज्य मछुआरा आयोग के गठन" का निर्णय लिया गया है।

2) उक्त उद्देश्य हेतु आयोग का गठन निम्न प्रकार किया जायेगाः–

(क)अध्यक्ष

(ख)उपाध्यक्ष

(ग)तीन सदस्य। (जिसमें न्युनतम एक महिला सदस्य होगी)

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों का मनोनयन राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा।

3) आयोग का कार्य एवं दायित्वः–

(क)राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित मछुआरों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का अनुश्रवण करना और ऐसे रक्षोपायों की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन करना।

(ख)इसके अतिरिक्त नीति/ कार्यक्रम के संबंध में आवश्यक सुझाव दे सकेगा, जिससे मछुआरों के जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके। नई योजनाओं के लिए सुझाव समर्पित कर सकेगा।

(ग)मत्स्य–जीवी सहयोग समितियों के गठन, प्रबंधन एवं अंकेक्षण के संबंध में सम्यक अध्ययन कर राज्य सरकार को सुझाव समर्पित करेगा।

(घ)मत्स्य उत्पादन में अभिवृद्धि एवं अन्य सुसंगत विषयों यथा मत्स्य बीज उत्पादन, पूरक आहार उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण, वाणिज्य एवं विपणन पर सुझाव दे सकेगा।

Scanned with CamScanner

नोटः– (I)आयोग राज्य सरकार के अनुमोदन से आर्थिक सामाजिक अध्ययन के लिए सरकारी विभागों या अन्य किसी संस्था की सहायता ले सकेगा।

(II)आयोग अपने कार्यो के सम्पादन हेतु राज्य सरकार के किसी विभाग या अधिकारी से आवश्यक सूचना मांगने तथा अधिकारियों की बैठक बुलाने हेतु सक्षम होगा।

4) (क)अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल आदेश निर्गत से अगले आदेश तक या अधिकत्तम तीन वर्षो की अवधि का होगा।

(ख)कोई भी सदस्य अथवा अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष एवं सदस्य राज्य सरकार को संबोधित स्वलिखित पत्र प्रेषित कर किसी भी समय अपने पद से इस्तीफा दे सकते है।

5) मछुआरा आयोग के अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री/ उप मंत्री का दर्जा देय होगा। उन्हें वही वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाएँ देय होगी, जो राज्य मंत्री/ उपमंत्री को मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के परिपत्र 502 दिनांक–08.03.2007 एवं 298 दिनांक–27.04.2012 के तहत प्रावधान किया गया है।

6) आयोग के सदस्यों को 15000/– रूपये वेतन, आहूत बैठकों में भाग लेने पर दैनिक भत्ता, 800/– रूपया एवं अनुमान्य यात्रा भत्ता 10/–रूपये प्रति किलोमीटर देय होगा। पटना में आवास रहने पर 5000/– रूपये प्रतिमाह की दर से आवास भत्ता देय अनुमान्य होगा। दूरभाष मद में मोबाईल रिचार्ज के लिए 1000/– रूपये प्रतिमाह देय होगा।

7) राज्य सरकार अखिल भारतीय सेवा, केन्द्रीय सेवा अथवा राज्यान्तर्गत सेवा के किसी सेवारत या सेवा निवृत्त पदधिकारी को आयोग के सचिव के मद पर नियुक्त/ मनोनीत करेगी, जो न्युनतम 10 वर्षो का कार्यानुभव रखते हो।

8) वित्त लेखा एवं अंकेक्षणः–

(क)राज्य सरकार (पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग) अनुदान के रूप में आयोग का कार्य चलाने हेतु एवं उसके कार्यों के प्रयोजनार्थ निधि उपलब्ध करायेगी।

(ख)आयोग द्वारा प्रतिवेदन राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जाएगा, जिस पर राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

9) आयोग का प्रशासी विभाग पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग होगा।

10) आयोग के दैनिक कार्यो में होने वाले कठिनाईयों का निदान प्रशासी विभाग के द्वारा कार्यकारी आदेश के माध्यम से किया जाएगा।

Scanned with CamScanner

1) प्रस्ताव मंत्रिपरिषद की सम्पन्न बैठक में दिनांक–12.11.13 को मद संख्या–08 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है। संचिका सं0–6एस0एस0(6)47/2013 के पृ0–15/टि0।

श:– अतः यह आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए और इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना/ बिहार लोक सेवा आयोग/ सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ मुख्यमंत्री सचिवालय/ बिहार विधान सभा/ बिहार विधान परिषद को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजी जाए।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से

28/11/13

(उपेन्द्र नारायण महतो)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:–6एस0एस(6)47/2013 2839 /पटना–15, दिनांक– 29/11 /2013

प्रतिलिपि:–प्रभारी ई गजट वित्त विभाग, बिहार, पटना/ अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रदाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इस संकल्प को राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए इसकी 1000 प्रतियाँ इस विभाग को भेजने की कृपा करें।

28/11/13

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:–6एस0एस(6)47/2013 2839 /पटना–15, दिनांक– 29/11 /2013

प्रतिलिपि:–महालेखाकार, बिहार, पटना/ सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/ सदस्य मत्स्य जीवी सहयोग समिति, बिहार/ सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग, पटना/ सचिव, अति पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/ सचिव, राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना/ सरकार के सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ निदेशक, पशुपालन/ गव्य/ मत्स्य, बिहार, पटना/ मुख्यमंत्री सचिवालय विभाग/ सचिव, बिहार विधान सभा/ सचिव, बिहार विधान परिषद/ सभी विश्वविद्यालय के कुलपति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रत्येक विभाग/ विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधिनस्थ सभी कार्यालय/ स्थानीय निकायों/ निगमों/ लोक सेवा उपक्रमों/ परिषदों को अविलम्ब सूचित करा दे।

28/11/13

सरकार के अवर सचिव

Scanned with CamScanner